दिनेश कुमार कश्यप और अन्य आदि

बनाम

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अन्य आदि।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11360-11363)

27 नवंबर, 2018

[न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता]

सेवा कानून – नियुक्ति – प्रतिवादी संख्या 1-रेलवे ने अपने रायपुर, बिलासपुर और नागपुर डिवीजनों और कार्यशालाओं में सामान्य श्रेणी के लिए समूह-डी पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया – अपीलकर्ताओं के अनुसार, 02.07.2008 के मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्रतिस्थापन सूची में 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों के साथ चयन सूची तैयार की जानी थी- अपीलकर्ता अतिरिक्त 20% की श्रेणी में आते हैं- कैट के समक्ष अपीलकर्ताओं का दावा है कि प्रतिवादी नंबर 1 को भरने का निर्देश दिया जाए। 20% उम्मीदवारों की इस सूची से सामान्य श्रेणी में खाली रिक्तियों में – अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका – अस्वीकृत – भी खारिज कर दी गई – आयोजित: दीपक गुप्ता, जे (अपने और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के लिए) यह सच है, कि केवल चयन चयनित उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं देता है – हालांकि, उसी समय जब बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और चयन प्रक्रिया का पालन किया गया है, फिर नियोक्ता को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि उसने चयनित उम्मीदवारों का सहारा क्यों नहीं लिया और उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया, भले ही वे प्रतिस्थापन पैनल से हों- जब नियोक्ता राज्य है तो यह अनुच्छेद 14 के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है- दलीलों में कोई संकेत नहीं है कि रिक्तियों को नहीं भरा जाना था- प्रतिवादी नंबर 1 मांग नहीं करने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कोई ठोस कारण देने में विफल रहा। अतिरिक्त 20% उम्मीदवारों की प्रतिस्थापन सूची से उम्मीदवार – पात्र अपीलकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 – निर्देश जारी किए गए – [न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (असहमति के अनुसार)] राज्य को योग्यता सूची में होने पर भी उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने का अधिकार है – अपीलकर्ताओं के पास नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं है – ऐसा नहीं है, कि योग्यता में नीचे के किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है या योग्यता की अनदेखी करके चयन और चयन विधि द्वारा नियुक्तियां की गई हैं – रेलवे का यह रुख कि 624 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, मनमाना नहीं कहा जा सकता है- रेलवे की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है- भारत का संविधान- अनुच्छेद 14।

अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

प्रति न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता (स्वयं और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के लिए)

1.1 यह सच है कि मात्र चयन से चयनित उम्मीदवार को नियुक्त किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता है। साथ ही जब बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और चयन प्रक्रिया का पालन किया गया है तो नियोक्ता को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसने चयनित उम्मीदवारों का सहारा क्यों नहीं लिया और उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया, भले ही वे प्रतिस्थापन पैनल से हों। राज्य को पद न भरने के लिए कोई न्यायोचित, गैर-मनमाना कारण बताना चाहिए। जब नियोक्ता राज्य होता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। वह बिना किसी कारण के पद नहीं भरने का फैसला नहीं कर सकती। उसे पदों को न भरने के लिए कुछ व्यावहारिक कारण बताना चाहिए। अदालतें आमतौर पर औचित्य

पर सवाल नहीं उठाएंगी, लेकिन औचित्य उचित होना चाहिए और राज्य में निहित विवेक का मनमाना, मनमौजी या सनकी प्रयोग नहीं होना चाहिए। [पैरा 6, 7] [953-B-C; 954-C-D]

1.2 दलीलों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रिक्तियों को नहीं भरा जाना था। तथ्य यह है कि एक साथ तीन चयन प्रक्रियाएं की गईं, यह अपने आप में साबित करता है कि प्रतिवादी नंबर 1 सभी पदों को भरना चाहता था और नहीं चाहता था कि किसी भी रिक्तियों को खाली छोड़ दिया जाए। यह प्रतिवादी नंबर 1 की दलील को नकारता है कि रिक्त पदों को भरना आवश्यक नहीं था। कैट और उच्च न्यायालय का रुख करने वाले अपीलकर्ताओं को केवल इसलिए परेशानी नहीं हो सकती क्योंकि मामला अदालत में लंबित था। उच्च न्यायालय और कैट, जबलपुर खंडपीठ के फैसले को रद्द किया जाता है। निर्देश जारी किए गए। पात्र अपीलकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश करने के लिए प्रतिवादी नंबर 1। [पैरा 8, 10, 11, 14 और 15] [954-एफ-जी; 955-ए-सी; 955-एफ-जी; 956-बी-सी]

आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ (यूओआई) 1995 (2) खुली एससीसी 230: [1995] 2 एससीआर 1127- पर भरोसा किया।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता (असहमत)

1.1 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को चयनित उम्मीदवारों को बदलने के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों के रूप में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था जो किसी न किसी कारण से शामिल नहीं होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को मेधावी चयनित उम्मीदवारों के शामिल नहीं होने पर पदों को भरने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुलाया गया था। राज्य को यह अधिकार है कि वह मेरिट सूची में होने पर भी उम्मीदवारों को नियुक्त न करे। अपीलकर्ताओं के पास नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं है। जवाबी हलफनामे में रेलवे द्वारा कारण दिया गया है कि 624 पदों को भरने की आवश्यकता एक विज्ञापन के अनुसरण में महसूस नहीं की गई थी क्योंकि एक साथ दो चयन प्रक्रियाएं थीं जिनमें 2839 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। इस तरह के कारण को पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है जो प्रतिवादियों को उन अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए जनादेश देता है जो मेरिट सूची में नहीं हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूची में हैं। राज्य को विज्ञापित किसी भी रिक्ति को नहीं भरने का अधिकार है। यह रुख कि 624 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, को मनमाना नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए परमादेश की आवश्यकता है। राज्य को उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जब उसे पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया गया है और यह न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण है। [पैरा 18] [965-ई-एच; 966-ए-बी]

1.2 न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय रेलवे के निर्णय को प्रतिस्थापित करने और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए नहीं है। मार्च, 2014 में प्रकाशित पैनल की मुद्रा दो वर्ष की अवधि के लिए है। चूंकि चयन पैनल की वैधता समय के प्रवाह पर समाप्त हो गई थी, इसलिए 15-12-2010 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में वर्ष 2014 में तैयार की गई ऐसी चयन सूची में से व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस तरह का पैनल नियुक्ति का बारहमासी स्रोत नहीं हो सकता है। रेलवे की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है ताकि 15-12-2010 को विज्ञापित ग्रुप डी पदों पर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति न की जा सके। नतीजतन, अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है। [पैरा 20, 22-24] [968-बी; 969-ए-सी]

शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47: [1991] 2 एससीआर 567- इसके बाद।

हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह (1974) 3 एससीसी 220: [1974] 1 एससीआर 165; जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य (1985) 1 एससीसी 122: [1985] 1 एससीआर 899; एस.एस. बालू बनाम केरल राज्य (2009) 2 एससीसी 479: [2009] 1 एससीआर 196; कुलविंदर पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016) 6 एससीसी 532: [2016] 4 एससीआर 439- पर भरोसा किया।

आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ 1995 सुप्प (2) एससीसी 230: [1995] 2 एससीआर 1127; भारत संघ बनाम काली दास बातिश (2006) 1 एससीसी 779: [2006] 1 एससीआर 261- संदर्भित।

केस कानून सन्दर्भ

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के फैसले में (स्वयं और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के लिए)

[1995] 2 एससीआर 1127 पैरा 6 पर निर्भर था।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के फैसले में

[1995] 2 एससीआर 1127 पैरा 8 को संदर्भित किया गया।

[1974] 1 एससीआर 165 पैरा 11 पर निर्भर था।

[1985] 1 एससीआर 899 पैरा 12 पर निर्भर था।

[1991] 2 एससीआर 567 ने पैरा 13 का अनुसरण किया।

[2009] 1 एससीआर 196 पैरा 14 पर निर्भर था।

[2016] 4 एससीआर 439 पैरा 15 पर निर्भर था।

[2006] 1 एससीआर 261 पैरा 17 को संदर्भित करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 11360- 11363।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बिलासपुर स्थित निर्णय एवं आदेश दिनांक 2017 से रिट याचिका संख्या 1459 तथा 2015 की रिट याचिका संख्या 1965, 2015 की 2348 और 2016 की रिट याचिका संख्या 2450 में दिनांक 05.08.2015 के आदेश से प्राप्त आदेश से छूट दी गई है।

के साथ

2018 की सिविल अपील संख्या 11364।

प्रशांत भूषण, गोविंद जी, अपीलकर्ताओं के लिए वकील।

विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पीएस सुधीर, मेरुसागर सामंत्रे, विकास बंसल, राज बहादुर यादव, लीलेश कृष्णा, श्रीमती अनिल कटियार, प्रतिवादियों के वकील।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने न्यायालय के फैसले सुनाए।

1. अपील की अनुमति दी गई।

2. प्रतिवादी संख्या 1, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (संक्षेप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) ने 15.12.2010 को एक विज्ञापन जारी कर रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडलों और कार्यशालाओं में 5200 रुपये के वेतनमान 20,200 रुपये + 1800 रुपये के ग्रेड वेतन में 5798 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्त कैट के लिए) के समक्ष आवेदन दायर करने वाले मूल रिट याचिकाकर्ताओं

का दावा था कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार चयन सूची 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों के साथ तैयार की गई थी। इसलिए 6995 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया जो सफल रहे। अपीलकर्ता अतिरिक्त 20% की श्रेणी में आते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इन 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों से नियुक्तियां नहीं कीं, हालांकि सामान्य श्रेणी में ही 624 पद खाली रह गए। अतिरिक्त उम्मीदवारों की 20% श्रेणी में आने वाले अपीलकर्ताओं ने कैट के समक्ष आवेदन दायर किए और प्रार्थना की कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 20% उम्मीदवारों की इस सूची से भरी हुई रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया जाए। इस आवेदन को अधिकरण ने खारिज कर दिया था। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए ये अपीलें की गई हैं।

3. इस मुद्दे को समझने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लेख करना उचित होगा। निर्देश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

".....

3. इस मुद्दे की जांच की गई है और अब बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 20% अधिक होगी।

4. हालांकि, यह निम्नलिखित परंतुक के साथ किया जाएगा।

(i) अभ्यर्थी को बुलावा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन के समय रिक्तियों की संख्या से अधिक 20% अभ्यथयों को बुलाने का उद्देश्य मुख्य रूप से पैनल में कमी से बचने के लिए है और केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी अभ्यर्थी को बुलाने से किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं होता है। उसे रेलवे में नियुक्ति के लिए पात्र बनाएं।

(ii) यहां तक कि जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, आरआरसी (रेलवे भर्ती सेल) हॉल द्वारा अंतिम रूप दिया गया पैनल केवल रिक्तियों की संख्या के बराबर होगा। यदि रेलवे प्रशासन चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित जॉइनिंग समय देने के बाद यह प्रमाणित करता है कि कुछ निश्चित संख्या में उम्मीदवार विशिष्ट अवधि के भीतर नहीं आए हैं, तो आरआरसी द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से नहीं आने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर एक और पैनल प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति लेने के लिए अंतिम रूप से उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों के बदले प्रतिस्थापन के लिए बुलाने से पहले, सीपीओ को व्यक्तिगत रूप से खुद को संतुष्ट करना होगा कि मूल रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। किसी भी परिस्थिति में, मूल और साथ ही प्रतिस्थापन पैनलों में शामिल उम्मीदवारों की संख्या रेलवे द्वारा भर्ती रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(iii) प्रतिस्थापन पैनलों में केवल आरक्षित/अनारक्षित उम्मीदवारों की उतनी संख्या शामिल होगी जो मूल पैनल के अनुसार उपस्थित नहीं हुए हैं। ....."

4. कैट द्वारा पारित आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अधिकरण के समक्ष दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरिट में उच्च स्तर के कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं आने या चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य घोषित होने की स्थिति में भरे हुए पद खाली हो सकते हैं। आरक्षित पैनल से भरा गया। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रुख था कि 20% उम्मीदवारों को बुलाने का उद्देश्य मुख्य रूप से भरी गई रिक्तियों में कमी से बचना था। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि केवल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवार को बुलाने से उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि 10.01.2014 के बाद प्रतिस्थापन पैनलों को बनाए रखने की प्रणाली को बंद कर दिया गया है। अधिकरण के अनुसार, अपीलकर्ताओं को नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं था।

5. इससे परेशान होकर, अपीलकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने एक और दलील दी कि 20% अतिरिक्त प्रतिस्थापन पैनल के व्यक्तियों को रेलवे द्वारा कई अन्य क्षेत्रों में नियुक्ति की पेशकश की गई थी और यह केवल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के 3 डिवीजनों में था कि ऐसा नहीं किया गया था। रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ताओं को कोई अधिकार नहीं है और यह भी कि केवल इसलिए कि प्रतिस्थापन पैनल से अन्य क्षेत्रों में कुछ नियुक्तियां की गई हैं, यह अपीलकर्ताओं में कोई अधिकार पैदा नहीं करेगा।

6. हमारे समक्ष मुख्य मुद्दा यह उठता है कि क्या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दिनांक 02-07-2008 के पत्र के बावजूद 20% अतिरिक्त पैनल की अनदेखी कर सकता था, इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं बता सकता था। निस्संदेह, यह सच है कि मात्र चयन से चयनित उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं मिल जाता है। साथ ही जब बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और चयन प्रक्रिया का पालन किया गया है तो नियोक्ता को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसने चयनित उम्मीदवारों का सहारा क्यों नहीं लिया और उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया, भले ही वे प्रतिस्थापन पैनल से हों। सिर्फ इसलिए कि विवेकाधिकार प्राधिकरण में निहित है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस विवेक ाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी पदों को भरना नियोक्ता का दायित्व नहीं है, लेकिन उसे कारण बताना चाहिए और अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि प्रतिस्थापन पैनल में जगह पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने के लिए उसके पास कुछ आधार थे। इस संबंध में हम आर.एस. मित्तल बनाम भारत संघ (यूओआई) (1995) सपल 2 एससीसी 230 मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

10. ....

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन पैनल में शामिल किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है। उसे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। लेकिन साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी प्रवर पैनल की अनदेखी नहीं कर सकता है या अपनी मर्जी से नियुक्ति करने से इनकार नहीं कर सकता है। जब किसी व्यक्ति का चयन चयन बोर्ड द्वारा किया गया है और उसकी योग्यता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे कोई रिक्ति दी जा सकती है, तो सामान्यत नियुक्ति के लिए उसकी उपेक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। चयन पैनल में शामिल व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार करने का एक उचित कारण होना चाहिए। वर्तमान मामले में, सरकार की ओर से मात्र निष्क्रियता रही है। कोई भी कारण, उचित कारण की बात न करते हुए, इस बात का कोई कारण नहीं दिया गया कि उम्मीदवारों को नियुक्तियों की पेशकश तेजी से और कानून के अनुसार क्यों नहीं की गई। रिक्ति की उपलब्धता के उचित समय के भीतर श्री मुर्गड को नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी और उसके बाद अगले उम्मीदवार को। इस मामले में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित था।

7. हमारा देश कानून के शासन से चलता है। मनमानी कानून के शासन के लिए एक अभिशाप है। जब कोई नियोक्ता बड़ी संख्या में पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, तो बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा इसके लिए आवेदन करते हैं। वे फॉर्म भरने में समय बिताते हैं और आवेदन शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके बाद, वे परीक्षा की तैयारी के लिए समय बिताते हैं। वे उस स्थान की यात्रा करने के लिए समय और पैसा खर्च करते हैं जहां लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। यदि वे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा आदि के लिए उपस्थित होने के लिए फिर से यात्रा करनी होगी। जो सफल हैं और पारित घोषित किए गए हैं, उन्हें उचित उम्मीद है कि उन्हें नियुक्त किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह एक निहित अधिकार नहीं है। हालांकि, राज्य को पद न भरने के लिए कुछ उचित, गैर-मनमाना कारण देना चाहिए। जब नियोक्ता राज्य होता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। वह बिना किसी कारण के पद नहीं भरने का फैसला नहीं कर सकती। उसे पदों को न भरने के लिए कुछ व्यावहारिक कारण बताना चाहिए। अदालतें आमतौर पर औचित्य

पर सवाल नहीं उठाएंगी, लेकिन औचित्य उचित होना चाहिए और राज्य में निहित विवेक का मनमाना, मनमौजी या सनकी प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आलोक में हमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तर्कों की जांच करने की आवश्यकता है।

8. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रतिस्थापन उम्मीदवारों को बुलाने से पहले सीपीओ को खुद को संतुष्ट करना था कि मूल सूचीबद्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश को रद्द करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं को नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इस तर्क में कोई दम नहीं है। दलीलों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रिक्तियों को नहीं भरा जाना था। यदि प्रतिवादी नंबर 1 का कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है, तो अपीलकर्ता इसके लिए पीड़ित नहीं हो सकते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है।

9. उत्तरदाताओं की ओर से हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया था कि प्रश्न 2 में चयन प्रक्रिया के बाद 2012 और 2013 में और चयन प्रक्रियाएं शुरू की गईं। नतीजतन, तीन भर्ती चक्र समवर्ती रूप से चल रहे थे और इसलिए, रिक्तियों को बाद के चयनों में भरा गया था। यह तर्क खारिज किए जाने के लायक है क्योंकि इसे अधिकरण के समक्ष भी नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, 2010 की अधिसूचना के अनुसार चयन में उपस्थित होने वाले अपीलकर्ताओं के अधिकारों को बहुत बाद में शुरू की गई चयन प्रक्रियाओं द्वारा नहीं छीना जा सकता था। उन्हें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से विलंब के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है।

10. तथ्य यह है कि तीन एक साथ चयन प्रक्रियाएं की गईं, यह अपने आप में साबित करता है कि प्रतिवादी नंबर 1 सभी पदों को भरना चाहता था और नहीं चाहता था कि किसी भी रिक्ति को खाली छोड़ दिया जाए। यह प्रतिवादी नंबर 1 की दलील को नकारता है कि रिक्त पदों को भरना आवश्यक नहीं था।

11. हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया है कि पैनल की वैधता केवल दो साल के लिए थी और चूंकि अंतिम मेरिट सूची मार्च 2014 के लिए प्रकाशित की गई थी, इसलिए सूची की वैधता मार्च 2016 में समाप्त हो गई है। यह सबमिशन केवल अस्वीकार किया जाना है। कैट और उच्च न्यायालय का रुख करने वाले अपीलकर्ताओं को केवल इसलिए परेशानी नहीं हो सकती क्योंकि मामला अदालत में लंबित था।

12. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से उठाया गया एक और निवेदन यह है कि अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2012 और 2013 में आयोजित चयन प्रक्रियाओं में निर्धारित कट ऑफ से कम अंक प्राप्त किए हैं। यह सेब की तुलना संतरे से करने के बराबर है। प्रत्येक चयन प्रक्रिया में मूल्यांकन के विभिन्न स्तर के साथ एक अलग परीक्षा होती है। कल्पना के किसी भी खिंचाव से तीन अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं के बीच तुलना नहीं की जा सकती है।

13. एक और तर्क यह दिया गया है कि भर्ती नीति एक कार्यकारी निर्णय है और अदालतों को ऐसी नीति की प्रभावकारिता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। न तो अपीलकर्ता और न ही यह न्यायालय दिनांक 02.07.2008 के पत्र में निहित नीति की प्रभावकारिता पर सवाल उठा रहा है। जो कुछ भी किया गया है वह प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है, खासकर जब यह अतिरिक्त 20% उम्मीदवारों की प्रतिस्थापन सूची से उम्मीदवारों को नहीं बुलाने की अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कोई ठोस कारण देने में विफल रहा है।

14. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय और कैट, जबलपुर खंडपीठ के फैसले को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता दिनांक 02.07.2008 के पत्र के लाभ के हकदार हैं। अपील की अनुमति देते समय हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) इस निर्णय का लाभ केवल उन अपीलकर्ताओं को उपलब्ध होगा जिन्होंने कैट से संपर्क किया था;

(ii) अपीलकर्ता किसी भी वापस मजदूरी के हकदार नहीं होंगे;

(iii) अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए वर्ष 2012 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया के पहले चयनित उम्मीदवारों के ठीक ऊपर और वरिष्ठता के क्रम में 2010 की चयन सूची के उम्मीदवारों के ठीक नीचे रखा जाएगा;

(iv) अपीलकर्ता केवल वेतन और वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी मानित नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक लाभों के हकदार होंगे।

15. प्रतिवादी नंबर 1 को फैसले का पालन करने और आज से 3 महीने की अवधि के भीतर पात्र अपीलकर्ताओं को नियुक्ति की पेशकश करने का निर्देश दिया जाता है।

16. सभी लंबित आवेदनों का निपटान भी उपर्युक्त शर्तों में किया जाएगा।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

मैंने अपने विद्वान भाई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता द्वारा लिखे गए फैसले का अध्ययन किया है। सम्मानपूर्वक, मैं उसमें व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार नीचे दिए गए हैं:

2. अपीलकर्ता ग्रुप-डी पदों पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, जिसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 15.12.2010 को सामान्य श्रेणी के 5540 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में विचार किया गया था कि उम्मीदवारों को अतिरिक्त सूची में रखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 02.07.2008 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 20% उम्मीदवारों को अतिरिक्त उम्मीदवारों के रूप में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उपर्युक्त परिपत्र में निहित प्रासंगिक शर्तें निम्नानुसार हैं:

3. इस मुद्दे की जांच की गई है और अब बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 20% अधिक होगी।

4. हालांकि, यह निम्नलिखित परंतुक के साथ किया जाएगा।

(i) अभ्यर्थी को बुलावा पत्र में यह स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन के समय रिक्तियों की संख्या से अधिक 20% अभ्यथयों को बुलाने का उद्देश्य मुख्य रूप से पैनल में कमी से बचने के लिए है और यह केवल उम्मीदवार को बुलाने के लिए है। दस्तावेज़ सत्यापन किसी भी तरह से उसे रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता है।

(ii) जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, वहां आरआरसी (रेलवे भर्ती सेल) द्वारा अंतिम रूप दिया गया पैनल केवल रिक्तियों की संख्या के बराबर होगा। यदि रेलवे प्रशासन चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित जॉइनिंग समय देने के बाद यह प्रमाणित करता है कि कुछ निश्चित संख्या में उम्मीदवार निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं आए हैं, तो आरआरसी द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से नहीं आने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर एक और पैनल प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों के बदले प्रतिस्थापन के लिए आमंत्रित करने से पहले, सीपीओ को व्यक्तिगत रूप से खुद को संतुष्ट करना होगा कि मूल रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया गया है। किसी भी परिस्थिति में, मूल और साथ ही प्रतिस्थापन पैनलों में शामिल उम्मीदवारों की संख्या रेलवे द्वारा भर्ती रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(iii) प्रतिस्थापन पैनलों में केवल आरक्षित/अनारक्षित उम्मीदवारों की उतनी संख्या शामिल होगी जो मूल पैनल के अनुसार नहीं आए हैं।

(जोर दिया गया)

3. विशेष रूप से अतिरिक्त उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है जब रेलवे बोर्ड ने दिनांक 10.01.2014 को एक परिपत्र संख्या 6/आरबीई/2014 जारी किया। उक्त परिपत्र में दिनांक

02-07-2008 के पूर्व परिपत्र में यथा विचार किए गए अभ्यथयों को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

4. अनुबंध पी-2 में दी गई सूचना के अनुसार, 15.12.2010 को जारी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 509775 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिनमें से 162229 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, 10380 सामान्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। चूंकि अपीलकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं, इसलिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए गए अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों की संख्या हलफनामे में उल्लिखित नहीं है। लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक 40% थे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य श्रेणी के 7697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सामान्य श्रेणी के संबंध में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए प्राप्त कट ऑफ अंकों का प्रतिशत 40.98% है। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्तियां 11.3.2013 को की गई थीं; 9.7.2013 और मार्च 2014 में।

5. जिन अपीलकर्ताओं को उक्त विज्ञापन प्रक्रिया के विरुद्ध ग्रुप-डी पदों पर नियुक्त नहीं किया गया था, उन्होंने वर्ष 2014 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर के समक्ष प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत मूल आवेदन दायर किए।

6. ऐसे नौ संबद्ध मूल आवेदनों को अधिकरण द्वारा 13.02.2015 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार था:

रेलवे भर्ती समिति ने एक बयान में कहा, '20 प्रतिशत अतिरिक्त सूची में उम्मीदवारों का अधिकार तभी शुरू होता है जब उपरोक्त प्रक्रिया का विधिवत पालन करने के बाद रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में प्रतिस्थापन पैनल की मांग की जाती है. प्रतिस्थापन पैनल की आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया रोजगार अधिसूचना या चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। विचार के लिए आवेदकों का अधिकार केवल तभी शुरू होता है जब मूल रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों के कुछ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाते हैं और उसके बाद प्रतिस्थापन पैनल के लिए मांग उठाई जाती है। चूंकि दिनांक 2.07.2008 की अधिसूचना (अनुबंध आर-4) में विनिदष्ट प्रक्रिया के मद्देनजर कोई मांग नहीं की गई है, इसलिए आवेदकों के विचार के लिए किसी भी अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है या इसका उल्लंघन नहीं किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका दिनांक 05.08.2015 के फैसले के तहत असफल रही। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि यदि अपीलकर्ता उच्च योग्यता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की मूल सूची में नहीं थे और चयनित उम्मीदवारों की गैर-जॉइनिंग रिक्तियों या चिकित्सा अयोग्यता के खिलाफ विचार किया जाना था, तो रेलवे बोर्ड के 02.07.2008 के पत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए एक प्रतिस्थापन पैनल तैयार करने की आवश्यकता थी। अधिकरण इस तथ्य पर पहुंचा है कि प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 02-07-2008 के पत्र के तहत प्रक्रिया शुरू करने की कोई प्रक्रिया कभी शुरू नहीं की गई थी ताकि किसी प्रतिस्थापन पैनल से गैर-शामिल रिक्तियों को भरा जा सके। मेरिट सूची के बाहर और उससे परे एक उम्मीदवार के पास अधिकार के मामले के रूप में ऐसी नियुक्ति का कोई निहित कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि रिक्तियां मौजूद हो सकती हैं। हमें न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से अलग होने का कोई कारण नहीं मिला।

8. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील आरएस मित्तल बनाम भारत संघ, 1995 एसयूपीपी (2) एससीसी 230 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले पर भरोसा करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि हालांकि अपीलकर्ताओं को नियुक्ति मांगने का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन प्रतिवादी नियुक्ति के अधिकार के लाभ से इनकार करने के लिए मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य को गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-मनमाने तरीके से कार्य करना है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को नियुक्ति से इनकार करना टिकाऊ नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि सामान्य श्रेणी में 5540 पदों में से 624 पद खाली रह गए हैं।

इसलिए, ऐसे पदों को उन उम्मीदवारों द्वारा बहुत अच्छी तरह से भरा जा सकता है जो अपीलकर्ताओं जैसे प्रतिस्थापन उम्मीदवारों (अतिरिक्त सूची) की श्रेणी में हैं।

9. जवाबी हलफनामे में, यह बताया गया है कि दो अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रियाएं भी शुरू की गईं, एक 25.08.2012 को सामान्य श्रेणी के 2017 पदों को भरने के लिए और दूसरी 14.12.2013 को सामान्य श्रेणी के 1195 पदों को भरने के लिए। उक्त चयन प्रक्रियाओं में, विज्ञापित 3212 पदों के मुकाबले 2839 उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं। यह भी कहा गया है कि तीन भर्ती चक्र यानी एक जिसके संबंध में अपीलकर्ता उम्मीदवार थे और दो अन्य भर्ती प्रक्रियाएं लगभग समवर्ती रूप से चल रही थीं। इसका उल्लेख अन्य बातों के साथ-साथ जवाबी हलफनामे में निम्नानुसार किया गया है

(iii) इस मामले में प्रतिस्थापन पैनल प्राथमिक रूप से जारी नहीं किए गए थे क्योंकि प्रभागों/इकाइयों से प्रतिस्थापन पैनल जारी करने की कोई मांग नहीं थी। जबकि रोजगार अधिसूचना सं. 2008 के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/02/2010 का कार्य चल रहा था, रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से दिनांक 02-07-2010 के अंतर्गत दो और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। एसईसीआर/03/2012 दिनांक 25.08.2012 को 2215 (198 शारीरिक रूप से विकलांग + 2017 गैर-पीएच) पदों के लिए और एसईसीआर/04/2013 दिनांक 14.12.2013 को 1206 (11 शारीरिक रूप से विकलांग + 1195 गैर-पीएच) पदों के लिए जारी किए गए थे।

iv. उपर्युक्त दो रोजगार अधिसूचनाओं के विरुद्ध एसईसीआर/03/2012 दिनांक 25.08.2012 और एसईसीआर/04/2013 दिनांक 14.12.2013, 1977 और 862 गैर-पीएच उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया गया है। इस प्रकार रोजगार अधिसूचनाओं के दो अनुवर्ती चक्रों के लिए कुल 2839 गैर-पीएच उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया गया है।

अपीलकर्ताओं और इसी तरह से रखे गए उम्मीदवारों के दावे के संबंध में (जो रोजगार अधिसूचना संख्या 20 के खिलाफ 20% अतिरिक्त उम्मीदवार क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवार हैं) एसईसीआर/02/2010 में शामिल न होने वाले लगभग 600 अभ्यथयों के विरुद्ध प्रतिस्थापन पैनल जारी करने के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि 600 अभ्यथयों के शामिल न होने का प्रभाव महसूस नहीं किया गया क्योंकि अल्प समय में 2839 गैर-पीएच अभ्यथयों को पैनल में शामिल किया गया और पैनलों को प्रभागों/इकाइयों के साथ संपूरित किया गया।

(vii) इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाद की दो रोजगार अधिसूचनाओं एसईसीआर /03/2012 और एसईसीआर /04/2013 के तहत पैनल में शामिल 2839 उम्मीदवार उन अपीलकर्ताओं की तुलना में योग्यता में कहीं बेहतर हैं, जो रोजगार अधिसूचना संख्या एसईसीआर/02/2010 के तहत 20% अतिरिक्त क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवार हैं।

(viii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रोजगार अधिसूचना सं 2008 के समानांतर भर्तियों के दो और चक्र चल रहे थे। एसईसीआर/02/2010 के दौरान प्रतिस्थापन पैनलों की आवश्यकता महसूस नहीं की गई और न ही इसके लिए कहा गया।

10. इस तथ्यात्मक आधार पर, सबसे पहले, यह जांच करने की आवश्यकता है कि जिन अपीलकर्ताओं को विज्ञापित पदों की संख्या के अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, उनकी स्थिति क्या है। दिनांक 02-07-2008 का परिपत्र इस आशय का है कि पैनल में कमी से बचने के लिए 20% अभ्यथयों को बुलाया जाना है और केवल दस्तावेज सत्यापन के लिए किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से वह किसी भी प्रकार से रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं हो जाता है। यह भी विचार किया जाता है कि प्रतिस्थापन पैनल में केवल उतनी संख्या में आरक्षित / अनारक्षित उम्मीदवार शामिल होंगे जो मूल पैनल के अनुसार नहीं आए हैं। इसलिए, 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों को उन उम्मीदवारों को प्रतिस्थापित करने के लिए बुलाया गया था जो चयनित उम्मीदवारों को दिए गए जॉइनिंग समय के भीतर रिपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को

नियुक्ति के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार कहा जा सकता है यदि चयनित उम्मीदवार किसी न किसी कारण से शामिल नहीं होते हैं।

11. अगला प्रश्न यह है कि क्या कोई उम्मीदवार मेरिट सूची में होने के कारण नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त करता है। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इस प्रश्न की बार-बार जांच की गई है। हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह, (1974) 3 एससीसी 220 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, यह माना गया है कि राज्य को किसी उम्मीदवार को नियुक्त नहीं करने का अधिकार है, भले ही उसका नाम मेरिट सूची में दिखाई दे। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 40 उम्मीदवारों ने 45% के न्यूनतम स्कोर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनके नाम पहले से ही संदर्भित नियम 10 (1) के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। यह विवादित नहीं है कि उम्मीदवार के नाम की इस सूची में केवल प्रविष्टि उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं देती है। विज्ञापन में कहा गया है कि 15 रिक्तियां भरी जानी हैं, यह भी उन्हें नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ऐसा हो सकता है कि सरकार वित्तीय या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी भी रिक्तियों को न भरे। ऐसे मामले में, यहां तक कि सूची में पहले स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। यह सूची केवल नियुक्तियां करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए है जिसमें यह दर्शाया गया है कि नियमों के तहत कौन से उम्मीदवारों के पास न्यूनतम योग्यता है। नियुक्ति के लिए चयन का चरण इसके बाद आता है, और यह विवादित नहीं है कि संविधान के तहत यह केवल राज्य सरकार है जो नियुक्तियां कर सकती है। ....."

12. जतिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य, (1985) 1 एससीसी 122 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्याशित रिक्तियों के लिए भर्ती के उद्देश्य से चयन और चयन की प्रक्रिया उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार पैदा नहीं करती है जिसे एक परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"12. ..... हालांकि, यह अपीलकर्ताओं को इस तरह के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करता है। वे यह दावा नहीं कर सकते कि सरकार को आयोग की सिफारिश ोंं को स्वीकार करना चाहिए। तथापि, यदि रिक्ति को भरा जाना है, तो सरकार को लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता क्रम का कड़ाई से पालन करते हुए नियुक्ति करनी होगी। यह अन्य अच्छे कारणों जैसे बुरे आचरण या चरित्र को छोड़कर अपनी मीठी इच्छा के अनुसार योग्यता के क्रम को परेशान नहीं कर सकता है। सरकार ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त नहीं कर सकती जिसका नाम सूची में नहीं है। लेकिन यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह तय करे कि कितनी नियुक्तियां की जाएंगी। प्रत्याशित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के उद्देश्य से चयन और चयन की प्रक्रिया उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं बनाती है जिसे परमादेश द्वारा लागू किया जा सकता है। हम ए एन डी सिल्वा बनाम भारत संघ एआईआर 1962 एससी 1130 और हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह (1974) 3 एससीसी 220 मामले में इस न्यायालय के दो पूर्व निर्णयों से अपने विचार में समर्थित हैं। इसके विपरीत श्री एंथनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. शंकरसन दास बनाम भारत संघ, (1991) 3 एससीसी 47 मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए निमंत्रण के बराबर है और उनके चयन पर, वे पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार फिट पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को निमंत्रण के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद पर कोई

अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सभी या किन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से कार्य करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरी जाती है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा लगातार इस सही स्थिति का पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह (1974) 3 एससीसी 220, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य (1986) 4 एससीसी 268, या जतिंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य (1985)1 एससीसी 122 के फैसलों में कोई असहमति नहीं मिलती है।

14. एसएस बालू बनाम केरल राज्य, (2009) 2 एससीसी 479 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में, यह माना गया था कि एक नियोक्ता के रूप में राज्य को सभी पदों को भरने या उन्हें नहीं भरने का अधिकार है। एक उम्मीदवार को परमादेश की प्रकृति में रिट का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा जब तक कि रिक्तियों को भरने के संबंध में भेदभाव या मनमानी न हो। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"इस मामले का एक और पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति केवल इसलिए नियुक्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं करता है क्योंकि उसका नाम चयन सूची में दिखाई देता है। (देखें पिट्टा नवीन कुमार बनाम राजा नरसैया जांगीती [(2006) 10 एससीसी 261। एक नियोक्ता के रूप में राज्य को सभी पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। जब तक रिक्तियों को भरने के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है या मनमानी नहीं की जाती है, तब तक संबंधित उम्मीदवार को रिट प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। (देखें बटियारानी ग्रामीण बैंक बनाम पल्लब कुमार (2004) 9 एससीसी 100। शंकरसन दास बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 47 मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा: (एससीसी पीपी 50-51, पैरा 7)

"यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार फिट पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आम तौर पर अधिसूचना केवल भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को निमंत्रण के बराबर होती है और उनके चयन पर वे पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सभी या किन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए किसी भी कानूनी कर्तव्य के अधीन नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने तरीके से कार्य करने का लाइसेंस है। रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियों या उनमें से कोई भी भरा जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

* * *

14. पित्त नवीन कुमार बनाम राजा नरसैया जांगीती [(2006) 10 एससीसी 261 मामले में, इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पी 273, पैरा 32)

"32. ... एक उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार उसे केवल उस पर विचार करने का अधिकार है। एक व्यक्तिगत उम्मीदवार के मामले पर विचार करना हालांकि आमतौर पर मौजूदा नियमों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन उस मामले में आवश्यक होगा जहां नियम केवल संबंधित उम्मीदवारों के नुकसान के लिए संचालित होते हैं, अन्यथा नहीं।

15. कुलविंदर पाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2016) 6 एससीसी 532 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, इस अदालत ने कहा कि एक उम्मीदवार का नाम मेरिट सूची में दिखाई दे सकता है लेकिन उसे नियुक्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"10. यह काफी अच्छी तरह से तय है कि केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार का नाम चयन सूची में जगह है, यह उसे नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं देगा। एक उम्मीदवार का नाम मेरिट सूची में दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे भारतीय खाद्य निगम बनाम भानु लोध (2005) 3 एससीसी 618, अखिल भारतीय एससी और एसटी कर्मचारी संघ बनाम ए आर्थर जीन (2001) 6 एससीसी 380 और यूपीएससी बनाम गौरव द्विवेदी (1999) 5 एससीसी 180 के तहत नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।

11. इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम राजकिशोर नंदा (2010) 6 एससीसी 777 मामले में निम्नानुसार निर्णय लिया: (एससीसी पी 783, पैरा 14 और 16)

14. एक व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में दिखाई देता है, उसे नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पैनल में शामिल करना नियुक्ति के उद्देश्य के लिए पात्रता की एक शर्त है और यह अपने आप में चयन के बराबर नहीं है या नियुक्त किए जाने के लिए निहित अधिकार नहीं बनाता है। रिक्तियों को सांविधिक नियमों के अनुसार और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप भरा जाना है।

* * *

16. नियुक्तियों के उद्देश्य से एक चयनित सूची को जलाशय के रूप में नहीं माना जा सकता है, रिक्ति को उस सूची से नाम लेते हुए भरा जा सकता है जब भी इसकी आवश्यकता होती है।

12. मनोज मनु बनाम भारत संघ (2013) 12 एससीसी 171 मामले में, यह माना गया था कि (एससीसी पी 176, पैरा 10) केवल इसलिए कि किसी उम्मीदवार का नाम चयन सूची में जगह पाता है, यह उम्मीदवार को नियुक्ति पाने का अपरिहार्य अधिकार नहीं देगा। यह सरकार के लिए हमेशा खुला है कि वह रिक्तियों को न भरे लेकिन ऐसा निर्णय मनमाना या अनुचित नहीं होना चाहिए। एक बार जब निर्णय किसी वैध कारण पर आधारित पाया जाता है, तो न्यायालय रिक्तियों को भरने के लिए सरकार को कोई परमादेश जारी नहीं करेगा। जैसा कि पहले देखा गया है, क्योंकि वर्ष 1998, 1999, 2000 और 2001 के सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के रूप में चयन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाईस अन्य उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, इसलिए उन्हें समायोजित किया जाना था, जैसा कि प्रशासनिक समिति द्वारा 6-7-2011 की बैठक में सही तरीके से तय किया गया था। उक्त सत्रह उम्मीदवारों के शामिल होने के साथ वर्ष 2007-2008 की तीन परिणामी रिक्तियां समाप्त हो गईं और उन्हें उस वर्ष की चयन सूची से नहीं भरा जा सका। प्रशासनिक समिति का यह निर्णय कि परिणामी तीन रिक्तियों का उपभोग किया गया था, वहां उत्पन्न तथ्यात्मक स्थिति पर आधारित है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

16. अधिकरण के समक्ष रेलवे का रुख यह था कि 20% अतिरिक्त उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के चरण में उम्मीदवारों की अस्वस्थता या दस्तावेज़ सत्यापन आदि के लिए उम्मीदवारों के नहीं आने जैसी घटनाओं का ध्यान रखने के लिए बुलाया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने के कारण रिक्तियां नहीं भरे जाने के बावजूद, रेलवे बोर्ड के निर्देशों के मद्देनजर अतिरिक्त उम्मीदवारों में से किसी भी नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता है। अधिकरण के समक्ष उत्तर में रेलवे का रुख यह नहीं था कि समूह-घ पदों के लिए एक साथ चयन प्रक्रिया हुई थी और जिसके लिए 2839 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि इस न्यायालय के समक्ष इस तरह की दलील दी गई है और इस तरह के दावे को गलत नहीं ठहराया गया है।

17. आर.एस.मित्तल मामले (सुप्रा) में निर्णय इस न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। केन्द्र सरकार ने ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। उक्त निर्णय को भारत संघ बनाम काली दास

बातिश, (2006) 1 एससीसी 779 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में समझाया गया है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"20. प्रतिवादियों ने अपनी दलीलों के समर्थन में आरएस मित्तल बनाम भारत संघ 1995 एसयूपीपी (2) एससीसी 230 में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। हमारे विचार में, उक्त प्राधिकरण शायद ही उनके मामले को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले, प्राधिकरण केवल इतना कहता है कि जहां उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले चयन बोर्ड ने आईटीएटी के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए कतिपय उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, वहां भारत सरकार के लिए यह खुला नहीं था कि वह कार्रवाई किए बिना उक्त सिफारिश पर बैठ जाए। यह ऐसा मामला नहीं था जहां अच्छे कारण से उम्मीदवार को नियुक्त नहीं करने के निर्णय को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सहमति दी गई थी।

18. हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं को चयनित उम्मीदवारों को बदलने के लिए अतिरिक्त उम्मीदवारों के रूप में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था जो किसी न किसी कारण से शामिल नहीं होते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को मेधावी चयनित उम्मीदवारों के शामिल नहीं होने पर पदों को भरने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुलाया गया था। शंकरसन दास मामले (सुप्रा) के संदर्भ में, राज्य को उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने का अधिकार है, भले ही वे मेरिट सूची में हों। अपीलकर्ताओं के पास नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरिट में नीचे के किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है या योग्यता की अनदेखी करते हुए पिक एंड चूज विधि से नियुक्तियां की गई हैं। जवाबी हलफनामे में रेलवे द्वारा कारण दिया गया है कि 624 पदों को भरने की आवश्यकता एक विज्ञापन के अनुसरण में महसूस नहीं की गई थी क्योंकि एक साथ दो चयन प्रक्रियाएं थीं जिनमें 2839 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। इस तरह के कारण को पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है जो प्रतिवादियों को उन अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए जनादेश देता है जो मेरिट सूची में नहीं हैं, लेकिन प्रतीक्षा सूची में हैं। राज्य को विज्ञापित किसी भी रिक्ति को नहीं भरने का अधिकार है। यह रुख कि 624 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी, को मनमाना नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को नियुक्त करने के लिए परमादेश की आवश्यकता है। राज्य को उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है, जब उसे पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया गया है और यह न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण है।

19. इसके अलावा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय रेलवे के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करेगा और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों को नियुक्त करने का निर्देश देगा। काली दास बातिश मामले (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, यह माना गया है कि चयन सूची में एक उम्मीदवार का नाम शामिल करने से उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है, और यदि कोई अधिकार नहीं था, तो गैर-मौजूदा अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका बनाए रखने का कोई अवसर नहीं हो सकता है। यह भी माना गया है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत, ऐसी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्व-मान्यता प्राप्त सीमा है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

15. इस मामले में, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण हमारे लिए सराहनीय है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत पर मामले का रुख किया कि ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने यह भी सही कहा कि चयन सूची में एक उम्मीदवार का नाम शामिल करने से उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है, और यदि कोई अधिकार नहीं था, तो गैर-मौजूदा अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका बनाए रखने का कोई अवसर नहीं हो सकता है।

* * *

17. के. अशोक रेड्डी बनाम भारत सरकार (1994) 2 एससीसी 303 मामले में, इस न्यायालय ने संकेत दिया कि अनुच्छेद 226 या 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति कितनी भी व्यापक क्यों न हो, ऐसी शक्ति के

प्रयोग के लिए एक मान्यता प्राप्त सीमा है, हालांकि स्व-मान्यता प्राप्त है। इस न्यायालय ने क्रेग के प्रशासनिक कानून (दूसरा संस्करण, पृष्ठ 291) से एक अंश को दोहराया, एससीसी पृष्ठ 315, पैरा 21 के माध्यम से, निम्नानुसार:

"पारंपरिक स्थिति यह थी कि अदालतें विशेषाधिकार शक्ति के अस्तित्व और सीमा को नियंत्रित करेंगी, लेकिन इसके उपयोग के तरीके को नहीं। ... हालांकि पारंपरिक स्थिति को अब जीसीएचक्यू मामले [सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री, 1985 एसी 374: (1984) 3 ऑल ईआर 935: (1984) 3 डब्ल्यूएलआर 1174 (एचएल)] के फैसले से बदल दिया गया है। उनके लॉर्डशिप ने इस बात पर जोर दिया कि विवेकाधीन शक्ति की समीक्षा उसके विषय-वस्तु पर निर्भर होनी चाहिए, न कि इसका स्रोत क़ानून या विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार शक्ति के कुछ अभ्यास, उनके विषय-वस्तु के कारण, कम न्यायसंगत होंगे, लॉर्ड रोस्किल ने इस तरह के निषिद्ध क्षेत्र की व्यापक सूची संकलित की है।

लॉर्ड रोस्किल की टिप्पणियां, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री 1985 एसी 374: (1984) 3 ऑल ईआर 935: (1984) 3 डब्ल्यूएलआर 1174 (एचएल)] (जीसीएचक्यू मामला) से निम्नानुसार हैं: (सभी ईआर पी 956 डी-ई)।

उन्होंने कहा, 'लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनौती देने का अधिकार अयोग्य हो सकता है। मेरे विचार से यह उस विशेषाधिकार की विषय-वस्तु पर निर्भर होना चाहिए जिसका प्रयोग किया जाता है। विशेषाधिकार शक्तियों के तर्क के दौरान कई उदाहरण दिए गए थे, जैसा कि वर्तमान में मुझे सलाह दी गई है, मुझे नहीं लगता कि न्यायिक समीक्षा का विषय बनाया जा सकता है। संधियों के निर्माण, क्षेत्र की रक्षा, दया का विशेषाधिकार, सम्मान देने, संसद को भंग करने और मंत्रियों के साथ-साथ अन्य की नियुक्ति से संबंधित विशेषाधिकार शक्तियां, मुझे लगता है, न्यायिक समीक्षा के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं क्योंकि उनकी प्रकृति और विषय-वस्तु ऐसी है कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है।

18. अंत में, इस न्यायालय ने डी स्मिथ की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा (एससीसी पृष्ठ 316, पैरा 23 के अनुसार) में एक अंश का अनुमोदन के साथ हवाला देते हुए न्यायिक संयम पर जोर दिया:

"न्यायिक आत्म-संयम अभी भी उन मामलों में अधिक चिह्नित किया गया था जहां विवेकाधिकार के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को लागू करने का प्रयास किया गया था, न कि उन मामलों की स्थिति के अस्तित्व में होने का आरोप लगाया गया था, जिस पर इसके अभ्यास की वैधता निर्धारित की गई थी। ठीक है, अदालतें व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के अनुदान में निहित सीमाओं को पढ़ने में धीमी थीं, जिनका उपयोग राष्ट्रीय नीति के व्यापक विचारों के आधार पर किया जा सकता है।

इस तर्क के आधार पर, यह स्वीकार किया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण न्यायिक समीक्षा से मुक्त होगा क्योंकि "उन आधारों पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव का संकेत देने वाली मनमानी और पूर्वाग्रह के खिलाफ एक अंतर्निहित जांच है। इस तरह न्यायसंगतता का क्षेत्र कम हो जाता है .... [पूर्वोक्त, पैरा 24]"

19. हम सम्मानपूर्वक इन टिप्पणियों को दोहराते हैं, और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ निवेश किए गए इस देश के सभी न्यायालयों द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

20. प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों में, रिलायंस को दिनांक 18.07.2005 के परिपत्र पर रखा गया है जिसमें कहा गया है कि मार्च, 2014 के महीने में प्रकाशित पैनल की मुद्रा दो साल की अवधि के लिए है। प्रशासनिक अनिवार्यता के मामले में महाप्रबंधक द्वारा ऐसी अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

21. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुरेंद्र कुमार और अन्य नामक 2018 के सिविल अपील संख्या 11149 में इस न्यायालय के 22 नवंबर, 2018 के एक हालिया फैसले में कुछ इसी तरह के सवाल पर

विचार किया गया था, जिसमें सरकारी आदेश में विचार किया गया था कि उक्त पहलू को तय करते हुए प्रतीक्षा-सूची केवल एक वर्ष की अवधि के लिए संचालित की जा सकती है। अदालत ने निम्नानुसार कहा:

"दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18.05.2018 के आदेश और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अवलोकन किया है। प्रतीक्षा सूची के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सरकार ने समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। विभिन्न सरकारी आदेशों से यह स्पष्ट है कि प्रतीक्षा सूची की अवधि केवल एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है। यद्यपि 178 पदों के लिए चयन करने के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन अपीलकर्ता आयोग ने परीक्षा के परिणाम घोषित करने के बाद दिनांक 12-08-2010 के पत्र द्वारा पदों की वास्तविक संख्या अर्थात् 156 पदों के लिए प्रारंभिक सिफारिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सूची उन उम्मीदवारों को शामिल करके तैयार की गई है जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर सभी अपेक्षित दस्तावेज जमा किए हैं। आगे सिफारिशें भी की गई थीं, लेकिन 12-08-2010 से एक वर्ष की अवधि की गणना न करने का कोई कारण नहीं है। जब दिनांक 12-08-2010 को पदों की पर्याप्त संख्या के लिए सिफारिशें की गई थीं, तो हमारा विचार है कि प्रतीक्षा-सूची के लिए एक वर्ष की अवधि की गणना 12-08-2010 से की जानी है, न कि दिनांक 28-08-2012 के पत्र द्वारा एक पद के लिए की गई अंतिम सिफारिश से। दिनांक 12.08.2010 के पत्र के माध्यम से प्रारंभिक सिफारिश में 156 नामों को प्रतिबंधित करने का कारण उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 11 में बताया गया है।

22. चूंकि प्रवर पैनल की वैधता समय बीतने के साथ समाप्त हो गई है, इसलिए 15.12.2010 को जारी विज्ञापन के अनुसरण में वर्ष 2014 में तैयार की गई ऐसी चयन सूची में से व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई आदेश नहीं हो सकता है। इस तरह का पैनल नियुक्ति का बारहमासी स्रोत नहीं हो सकता है।

23. इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुझे रेलवे की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, ताकि 15-12-2010 को विज्ञापित ग्रुप डी पदों पर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति न की जा सके।

24. नतीजतन, मुझे अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है। तदनुसार अपीलों को खारिज किया जाता है। कोई कीमत नहीं।

अपील निस्तारित।

इला देओल, एडवोकेट